

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(दिसम्बर, 2020 सत्र)

(28 से 30 दिसम्बर, 2020 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

| विभाग का नाम | प्रभारी मंत्री | उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक | प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक | |
|---|--|-------------------------------|--|------------------|
| | | | ऑनलाईन | ऑफलाईन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वर्ग-1 | | | | |
| गृह | गृह मंत्री | | | |
| जेल | --- | | | |
| संसदीय कार्य | --- | | | |
| विधि और विधायी कार्य | --- | | | |
| किसान कल्याण तथा कृषि विकास | किसान कल्याण मंत्री | | | |
| खेल और युवा कल्याण | खेल और युवा कल्याण मंत्री | | | |
| तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार | --- | | | |
| नगरीय विकास एवं आवास | नगरीय विकास एवं आवास मंत्री | | | |
| औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन | औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री | 28 दिसम्बर, 2020 | 01 दिसम्बर, 2020 | 02 दिसम्बर, 2020 |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास | पंचायत मंत्री | | | |
| पर्यटन | पर्यटन मंत्री | | | |
| संस्कृति | --- | | | |
| अध्यात्म | --- | | | |
| पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण | राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण | | | |
| विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजातीय कल्याण | --- | | | |
| उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण | राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|-----------------------------------|-----|-----|--|
| | | | | वर्ग-2 |
| सामान्य प्रशासन | मुख्यमंत्री | | | |
| जनसम्पर्क | -----" | | | |
| नर्मदा घाटी विकास | -----" | | | |
| विमानन | -----" | | | |
| अप्रवासी भारतीय | -----" | | | |
| जल संसाधन | -----" | | | |
| मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास | -----" | | | |
| राजस्व | -----" | | | |
| परिवहन | -----" | | | |
| वित्त | वित्त मंत्री | | | |
| वाणिज्यिक कर | -----" | | | |
| योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी | -----" | | | 29 दिसम्बर, 2020 . 03 दिसम्बर, 2020 04 दिसम्बर, 2020 |
| खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | खाद्य मंत्री | | | |
| सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम | सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री | | | |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | -----" | | | |
| महिला एवं बाल विकास | महिला एवं बाल विकास मंत्री | | | |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री | | | |
| पशुपालन | पशुपालन मंत्री | | | |
| सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण | -----" | | | |
| उच्च शिक्षा | उच्च शिक्षा मंत्री | | | |
| सहकारिता | सहकारिता मंत्री | | | |
| लोक सेवा प्रबंधन | -----" | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | वर्ग-3 |
| लोक निर्माण | लोक निर्माण मंत्री | | | |
| कुटीर एवं ग्रामोद्योग | ----"---- | | | |
| वन | वन मंत्री | | | |
| आदिमजाति कल्याण | आदिमजाति कल्याण मंत्री | | | |
| अनुसूचित जाति कल्याण | ----"---- | | | |
| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री | | | |
| खनिज साधन | खनिज साधन मंत्री | | | |
| श्रम | ----"---- | 30 दिसम्बर, 2020 | 03 दिसम्बर, 2020 | 04 दिसम्बर, 2020 |
| चिकित्सा शिक्षा | चिकित्सा शिक्षा मंत्री | | | |
| भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास | ----"---- | | | |
| ऊर्जा | ऊर्जा मंत्री | | | |
| नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा | नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री | | | |
| पर्यावरण | ----"---- | | | |
| स्कूल शिक्षा | राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा | | | |
| आयुष | राज्य मंत्री, आयुष | | | |

भोपाल :
दिनांक : 27 नवम्बर, 2020

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट -

1. कृपया प्रश्न यथा समय टंकित कराकर दें। साथ ही वर्ग, प्रश्न पूछने की बैठक का दिनांक, विभाग का नाम, विषय, "श्री....." में प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम, संबंधित मंत्री का पदनाम, सदस्य के हस्ताक्षर, क्षेत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करने के साथ ही प्रश्न को आवश्यकतानुसार क, ख, ग, घ -इत्यादि भागों में विभक्त करने का कष्ट करें।
2. कृपया उपर्युक्त चक्रानुक्रम चार्ट अनुसार प्रश्नों की सूचना नवीन प्रश्न प्रपत्र (पंचदश विधान सभा) शृंखला 'ग' के प्रपत्रों में ही टंकित कर विधान सभा सचिवालय को प्रेषित करें। पूर्व शृंखला के प्रश्न प्रपत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
3. विवरण के स्तम्भ (3) से (5) में उल्लेखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होंगी।
4. ऑफलाईन सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में (शासकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में 11.00 बजे दिन से 4.30 बजे दिन के बीच ही प्राप्त की जावेंगी तथा ऑनलाईन सूचनाएं स्तम्भ (4) में उल्लेखित दिनांक को रात्रि 12.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी।